

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2011.

अधिकारी/कर्मचारी का (ए.1) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री अम्बाराशम मालवीय S/O श्री सरदार जी वर्तमान धारित पद संशोधक

3. वर्तमान वेतन 11560/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 अक्टूबर 2012

उस जिले, उपखण्ड, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	प्लॉट					
1	2	3	4	5	6	7	8
शाजापुर तहसील 28 नवीन नगर जिला शाजापुर संभाग उज्जैन म.प्र.	शू. खा. 05	—	1.50 लाख	पति के नाम से प्लॉट है। (श्री भति पाखंडी)	जन्म से शाजापुर से शिवाजी विद्यालय पर से स्वरीया है।	-NIL-	-NIL-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

... ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

... इसमें अत्यकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

अम्बाराशम

हस्ताक्षर अम्बाराशम  
 नाम सरदार जी मालवीय  
 पर संशोधक  
जो पाठ शाजापुर